

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
278/2024

दायर दिनांक

11.06.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

13.06.2024

1. नन्दा पिता रामा जाति जाट उम्र 80 वर्ष निवासी मनकडी तह० कोटडी।
2. उमा कंवर पत्नि प्रहलादसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी मनकडी तह० कोटडी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सजनी पत्नि राधेश्याम जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी त०कोटडी।
2. राजू पिता छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
3. रामचन्द्र पिता छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
4. शंकर पिता छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
5. भैरू पिता रूपा दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
6. लादु पिता रूपा दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
7. कैलाश पिता छगना दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
8. गोपाल पिता रामचन्द्र दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
9. श्रवणलाल पिता रामचन्द्र दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
10. रामा पिता कालू दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।
11. उरजण पिता हजारी दरोगा उम्र वयस्क निवासी मनकडी त० कोटडी।


-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी बालूलाल जोशी  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मनकडी प०ह० आमा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 61 की अभिलिखित आराजियात 160, 163, 165, 168, 238 कुल किता 05 कुल रकबा 6.8274 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः



उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा


प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मनकड़ी प0ह0 आमा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 61 की अभिलिखित आराजियात 160, 163, 165, 168, 238 कुल किता 05 कुल रकबा 6.8274 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आकाश निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा  
भीलवाडा